कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, दुगड्डा

पत्रांक– /निविदा/टी–02/दिनांक–दुगड्डा–फरवरी ,2019।

निविदा सुचना संख्या 04 /अ0अ0/2018–19

उत्तराखण्ड प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय की ओर से निम्नलिखित कार्यों हेतु मुहरबन्द निविदायें दिनांक 01–03–2019 को अपराहन 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है, जो दिनांक 02–03–2019 को सांय 3.30 बजे कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड दुगड्डा के कार्यालय में अधोहस्ताक्षरी अथवा उनके द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि द्वारा खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र दिनांक–15.02.2019 से 01.03..2019 तक किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक क्रय किये जा सकते है। वर्गीकृत श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदार अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि पंजीकरण के प्रमाण पत्रों की सत्य प्रतिलिपि तथा निविदा प्रपत्रों का निर्धारित मूल्य देकर निविदा प्रपत्र इस कार्यालय से प्राप्त कर सकते है। निविदा खोलने की तिथि दिनांक 02–03–2019 को अवकाश घोषित होने पर निविदा अगले कार्य दिवस पर खोली जायेगी।

| क्र0 सं0 | कार्य का नाम | धरोहर धनराशि रूपये में | निविदा प्रपत्र का मूल्य (रू0 में) | कार्य पूर्ण करने की अवधि (माह में ) | श्रेणी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 4711 नार्बाड FPW के अंतर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के दुगड्डा विकासखण्ड में कोटद्वार शहर के मध्य पनियाली नाले से बाढ़ सुरक्षा कार्यो की योजना (भाग–2) | | | | |
| 1 | <u>JOB- 1</u><br>रीच (At Left Bank, 383 m to 393 m, 1217m to 1265 m, 1340m to 1345 m , 2581m to 2596 m) | 50,000.00 | रू0 2000.00 +18% जी0एस0टी0 | 3 माह | डी एवं उच्चतर |
| 2 | <u>JOB- 2</u><br>रीच (At Right Bank, 468 m to 498 m, 963m to 980 m, 1474m to 1504m ,) | 50,000.00 | रू0 2000.00 +18% जी0एस0टी0 | 3 माह | डी एवं उच्चतर |
| 3 | <u>JOB- 3</u><br>रीच (At Right Bank, 2060 m to 2066 m , 2116m to 2131 m, 2446m to 2456 m , 2461 m to 2471 m, 2521 m to 2541 m, 2556 m to 2571 m) | 50,000.00 | रू0 2000.00 +18% जी0एस0टी0 | 3 माह | डी एवं उच्चतर |

शर्तेः–

1– प्रत्येक निविदा प्रपत्र के साथ वांछित धरोहर धनराशि केवल राष्ट्रीयकृत बैंको, एफ0डी0आर, सी0डी0आर तथा भारतीय डाक विभाग द्वारा निर्गत बचत बैंक पास बुक/राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में जो कि अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड दुगड्डा के नाम से बंधक हो, संलग्न करनी अनिवार्य है।

क्रमशः––2

Scanned by CamScanner

2– पंजीकरण की मूल प्रति निविदा लेते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

3– निविदा लेते समय धरोहर धनराशि जो अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड दुगड्डा के नाम बन्धक हो को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

4– निविदा हेतु ठेकेदार के पास लगभग रू0 10.00 लाख का एक समकक्ष कार्य का अनुभव होना आवश्यक है तथा मूल अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही ठेकेदार को निविदा बिक्री की जानी सम्भव होगी।

5– सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी।

5 (1) उपरोक्त निविदायें वित्तीय स्वीकृति की प्रत्याशा में आमंत्रित की जा रही है। वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न होने की दशा में निविदायें स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

6– किसी अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

7– डाक, तार, फैक्स, इलैक्ट्रानिक माध्यम से प्राप्त निविदायें मान्य नहीं होगी।

8– सफल निविदादाताओं को अनुबन्ध करने से पूर्व नियमानुसार सम्पूर्ण 10 प्रतिशत देय धरोहर धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंको की एफ0डी0आर/सी0डी0आर तथा भारतीय डाक विभाग द्वारा निर्गत बचत बैंक की पासबुक/बचत पत्र के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनके द्वारा डाली गयी निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी तथा निविदा के साथ जमा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

9– निविदा प्रपत्रों के साथ रूपये 100.00 का नॉन जुडिशियल स्टॉम्प 1.00 रूपये के रसीदी टिकट एवं निर्धारित हस्ताक्षरित घोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा डाली गयी निविदा मान्य नहीं होगी तथा निविदा रद्द कर दी जायेगी।

10– निविदा में दी गयी दरें निविदा डालने के दिनांक से 90 दिन तक मान्य होगी।

11– निविदादाता को अनुबन्ध करते समय नियमानुसार धरोहर धनराशि पर निर्धारित स्टाम्प डयूटी नान जूडिशियल स्टाम्प के रूप में देय होगी।

12– शासन द्वारा निर्धारित जीएसटी, आयकर, रॉयल्टी, लेबर सेस व अन्य कटौतियॉ ठेकेदार के बीजक से नियमानुसार काटी जायेगी।

13– अनुबन्धित ठेकेदार द्वारा स्वंय कार्य स्थल पर कार्य कराया जायेगा। वे किसी अन्य व्यक्ति को सबलैट नही करायेंगे, ताकि कार्य की गुणवत्ता के लिये अनुबन्धित ठेकेदार को उत्तरदायी ठहराया जा सके।

14– निविदादाता को मुहर बन्द लिफाफे पर अपना नाम व पता अंकित करना अनिवार्य होगा।

15– कार्य की ड्राइंग व अन्य विवरण किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में देखी जा सकती है।

16– सफल निविदादाता को प्रस्तुत किये गये सभी प्रमाण पत्रों की जॉच/सत्यापन के उपरान्त ही अनुबन्ध करने हेतु आमंत्रित किया जायेगा।

17– शेष सभी शर्ते नियमावली निविदा प्रपत्र में देखी जा सकती है।

18– यदि बाढ़, दैवी आपदा या अन्य किन्ही कारणों से ठेकेदार की क्षति / हानि होने की दशा में ठेकेदार स्वयं पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा, बादे में उसका कोई दावा मान्य नहीं होगा।

19– निर्माण कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की सरकारी/गैर सरकारी क्षति होने पर ठेकेदार द्वारा स्वंय के धन से ठीक कराना होगा एवं कार्य स्थल पर किसी प्रकार की जन हानि आदि होने पर ठेकेदार ही पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

20– इस कार्य की गुणवत्ता की जॉच एक अलग संस्था द्वारा समय–समय पर उनकी प्रयोगशाला में करायी जायेगी, जिसमें निर्माण सामग्री की जॉच, सीमेंट की जॉच, कंक्रीट आदि की जॉच सम्मिलित है। इस संस्था द्वारा उपलब्ध जॉच ठेकेदार को मान्य होगी और यदि जॉच मानकों के अनुसार नहीं आती है, तो किया गया कार्य पुनः करना होगा या नियमों के अनुसार कार्यों में कमी के लिये आर्थिक दण्ड ठेकेदार द्वारा वहन किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, दुगड्डा
गढ़वाल

Irrigation Division Dugadda
Distt. Pauri Garhwall

Scanned by CamScanner